दिनॉक 25/01/2024 को नाबालिग को भगाकर ले जाने व उसके साथ दुराचार करने वाले अभियुक्त को दून पुलिस ने बिहार से किया गिरफ़्तार।

दिनांक 17/01/2024 को जोगीवाला देहरादून निवासी व्यक्ति ने तहरीर दी कि उनकी नाबालिक पुत्री घर से बिना बताए कही चली गयी, जिसे उनके द्वारा काफी ढूंढा गया पर उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। उक्त संबंध में थाना नेहरू कॉलोनी पर मु0अ0स0- 08/24 धारा 363 ipc पंजिकृत किया गया था। नाबालिक युवती की बरामदगी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा थानाध्यक्ष नेहरू कॉलोनी को आवश्यक निर्देश दिये गए। जिसके अनुपालन में टीम गठित की गई गठित टीम द्वारा सुरागरसी पतारसी करते हुए गुमशुदा युवती के संबंध में जानकारी की गई तो उक्त युवती को गुड्डू साहनी नाम के व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाना प्रकाश में आया। जिस पर पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस व अन्य माध्यमों से अभियुक्त के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए अभियुक्त गुड्डू पुत्र सुरेश साहनी निवासी चेलाहटाल थाना बंजरिया मोतिहारी जिला पूर्वी चम्पारण बिहार उम्र 21 वर्ष को पूर्वी चम्पारण बिहार से गिरफ्तार करते हुए उसके पास से नाबालिक युवती को बरामद किया गया। पूछताछ में युवती ने अभियुक्त द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया जाना बताया गया, जिसके आधार पर अभियोग में पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई। अभियुक्त को बिहार से ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया गया, जिसे आज मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया।

अभियुक्तगण का विवरणः-

गुड्डू पुत्र सुरेश साहनी निवासी चेलाहाटाल, थाना बंजरिया, मोतिहारी, जिला पूर्वी चम्पारण, बिहार उम्र 21 वर्ष

पुलिस टीमः- (1)उ0नि0 सतवीर सिंह चौकी प्रभारी जोगीवाला देहरादून, (2) उ० नि० स्मृति रावत विवेचक थाना नेहरु कॉलोनी, (3)कानि० 704 विपिन सेमवाल